ध्या है।
...33 (Ranchi) 2015-16
Inclusive and Qualitative Electoral Partic...

रजिस्ट्री सं.डी.एल. 33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-Section(ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं0 2002] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 2002] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

का.आ. 2550 (अ) केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना सख्या का. आ. 2624 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–3, उपखंड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 96.00 कि. मी. से 115.37 कि.मी. (रांची–रामगढ़ सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी :

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21 मार्च, 2015 को "खबर मंत्र" और "अवामी न्यूज" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई अक्षय प्राप्त नहीं हुए है :

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपरधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए :

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के कि.मी. 96.000 से कि.मी. 115.37 तक (रांची–रामगढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		भू–स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
							(एकड़ में)	(वर्ग मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	रांची	ओरमांझी	उकरीद	292	रैयती	टांड–II	0.05	202.35	संतु महतो वगैरह
				290	रैयती	टांड–II	0.11	445.16	नीलमणि चौधरी, मेघनाथ सिंह वगैरह
						कुल	**0.16**	**647.51**	

[फा. सं. भारासप्रा/बीओटी/11019/13/2003

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

पत्रांक : 44 (ii)/भू.अ., रांची, दिनांक : 12/01/2016